प्रेस विज्ञप्ति

29-11-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), उसके निदेशकों/गारंटरों और संबंधित व्यक्तियों, जिनमें इसके प्रमोटर और महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी भी शामिल हैं, से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में स्थित घरेलू अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों [अपराध से प्राप्त आय (पीओसी)] का मूल्य लगभग 111.32 करोड़ रुपये है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि एओपीएल और उसके सहयोगी धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक लेनदेन, सर्कुलर ट्रेडिंग, दस्तावेजों की जालसाजी और बैंक निधियों के हेराफेरी में लिप्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक, शाहपुरा शाखा, भोपाल को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। इस प्रकार उत्पन्न पी.ओ.सी. को घरेलू समूह कंपनियों और संबद्ध व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से स्तरीकृत किया गया, और तत्पश्चात भारत में उच्च मूल्य वाली अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया।

पीएमएलए के तहत ईडी की जाँच से यह भी पता चला है कि बड़ी संख्या में एएमजी समूह की कंपनियाँ, कमर्शियल एम्प्लिट्यूड प्राइवेट लिमिटेड, एएमजी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य नामित/कर्मचारी-स्वामित्व वाली कंपनियाँ, जो दिखने में कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर थीं, वास्तव में श्रीकांत भासी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित थीं, जैसा कि एओपीएल और एएमजी समूह से जुड़े प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के बयानों से पुष्टि होती है।

दिनांकः 01.08.2025 को किए गए तलाशी अभियान के दौरान, इन घरेलू संपत्तियों से संबंधित कई संपत्ति दस्तावेज़, समझौते के कागजात, डिजिटल साक्ष्य और संचार जब्त किए गए। भौतिक साक्ष्यों और जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार, ये संपत्तियाँ रिश्तेदारों और करीबी व्यक्तियों के नाम पर अर्जित की गई थीं, जो स्तरित अपराध की आय को दर्शाते हैं।

इस मामले में, ईडी ने 17.11.2025 को दुबई, यूएई में स्थित 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की 09 विदेशी संपत्तियां पहले ही कुर्क कर ली थीं। इस मामले में अब तक कुल 163.02 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की हो चुकी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।